

30

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर

क्र. 18 निगम 0 मिगारानी-3566/2018/नरसिंहपुर/अ.25

रामनारायण चौबे उम्र 80 वर्ष आ.स्व.श्री शिवप्रसाद चौबे

धंधा-वकालत साकिन ग्राम डेडवारा पो.आ. नरसिंहपुर

तह0 व जिला नरसिंहपुर म.प्र

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1-श्रीमति सुमन शुक्ला उर्फ सुमन पांडे पत्नी गोविंद प्रसाद शुक्ला

निवासी-जागृति नगर गोटेगांव पो0आ0-तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर म.प्र.

2-श्रीमति पार्वतीबाई पत्नी देवीप्रसाद पांडे

निवासी-डेडवारा तह0 व जिला नरसिंहपुर म.प्र.

3-भोजराज पांडे आ0 देवी प्रसाद पांडे

निवासी-डेडवारा तह0 व जिला नरसिंहपुर म.प्र.

4-देवी प्रसाद पांडे आ0 रामरतन पांडे

निवासी-मनकवारा पो0-करारी तह0-पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

5-श्रीमति सुशीलाबाई पत्नी देवी प्रसाद पांडे

निवासी-मनकवारा पो0-करारी तह0-पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

6-विजय पांडे आ0 देवी प्रसाद पांडे

निवासी-मनकवारा पो0-करारी तह0-पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

7-बालकृष्ण पांडे आ0 देवीप्रसाद पांडे

निवासी-मनकवारा पो0-करारी तह0-पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

8-आशाबाई पांडे आ0 देवीप्रसाद पांडे

निवासी-मनकवारा पो0-करारी तह0-पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

9-रुकमणिबाई आ0 देवीप्रसाद पांडे

निवासी-मनकवारा पो0-करारी तह0-पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

10-उपदेश परिहार आ0 गजराज सिंह परिहार

निवासी-दमोह तहसील व जिला दमोह म.प्र.

हाल मु0-डेडवारा तहसील व जिला नरसिंहपुर म.प्र.

.....उत्तरवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर में चल रहे राजस्व अपील प्रकरण क्रं.41अ/6 सन 16-17 में चल रही प्रक्रिया-कार्यवाही से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश करता है :-


मामले का तथ्य

1:- यह कि उत्तरवादी क्रं.01 श्रीमती सुमन शुक्ला द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में मौजा डेडवारा नं.ब.233 तहसील जिला नरसिंहपुर के संशोधन क्रं.62 आदेश दि.24.08.2014 के विरुद्ध एक अपील दि.08.04.2017 को पेश की है जिसमें मौजा डेडवारा के ख.नं.48/140, 70/71 रकबा 0.010 हे0 याने 1000 वर्गफुट कृषि भूमि उत्तरवादी क्रं.02 श्रीमती पार्वतीबाई ने उत्तरवादी क्रं.10 उपदेश परिहार को बजरिये रजि0 शुदा बैनामा के बेची थी जो राजस्व रिकार्डों में दर्ज हुई है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3566/2018/नरसिंहपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाक्तों आदि के हस्ताक्षर
03-7-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सी० एम० गुप्ता उपस्थित। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 41/अ-6/2016-17 में चल रही प्रक्रिया/कार्यवाही से क्षुब्ध होकर यह निगरानी म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2-आवेदक के अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क यह है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में पेश आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० का निराकरण नहीं किया गया है। निराकरण का अनुरोध किया गया है।</p> <p>3-आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेश आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० का निराकरण नहीं किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिवस के अन्दर पहले आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० का निराकरण करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।</p>	 <p>सदस्य</p>